



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-22072025-264897  
CG-GJ-E-22072025-264897

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493]  
No. 493]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2025/आषाढ़ 19, 1947

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 2025/ASHADHA 19, 1947

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 8 जुलाई, 2025

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (टेकफिन और सहायक सेवाएँ) विनियम, 2025

आईएफएससीए/जीएन/2025/005. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 12 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय ।  
प्रारंभिक

### 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- 1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (टेकफिन और सहायक सेवाएँ) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- 2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

### 2. उद्देश्य

इन विनियमों का उद्देश्य टेकफिन्स और अनुपंगी सेवा प्रदाताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ङ.) के उपखंड (i) से (xi) में सूचीबद्ध किसी भी वित्तीय सेवा को चलाने की व्यवस्था करने के लिए नियामक ढांचा प्रदान करना है।

### 3. परिभाषाएँ

- 1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ परिभाषित शब्दों का अर्थ नीचे दिए गए अनुसार होगा और उनके समानार्थी शब्दों और रूपों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा:-
  - (i). "अधिनियम" अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) से अभिप्रेत है;
  - (ii). "सहायक सेवाओं" का तात्पर्य उन सेवाओं से है जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ङ.) के उप-खंड (i) से (xi) में सूचीबद्ध किसी भी वित्तीय सेवा को चलाने के लिए व्यवस्था करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता, मदद या सहयोग प्रदान करती हैं;
  - (iii) "प्राधिकरण" अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से अभिप्रेत है;
  - (iv) "समूह एंटिटी" में निम्नलिखित संबंधों में से किसी के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित दो या अधिक एंटिटियों को शामिल करने वाली व्यवस्था शामिल है;
    - (क) मूल-सहायक (इंड-एएस 110/एएस 21 के अनुसार);

(ख) संयुक्त उद्यम (इंड-एएस 28/एएस 27 के अनुसार);

(ग) सहयोगी (इंड-एएस 28/एएस 23 के अनुसार);

(घ) सामान्य ब्रांड नाम;

(ङ) इक्विटी शेयरों में निवेश/20 प्रतिशत और उससे अधिक का पूँजी योगदान; या

(च) नेटवर्क का अंश;

**स्पष्टीकरण-** इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'नेटवर्क' का तात्पर्य फर्मों के समूह की बड़ी संरचना से है जो संसाधनों को एकत्रित करके पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ आए हैं, अपनी संयुक्त शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और एक समान नीतियां, प्रौद्योगिकी और संपार्श्विक रखते हैं, और स्वयं को एक बड़ी इकाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्रमुख फर्म सदस्य-फर्मों की ओर से कार्य करती है।

(v) "निरीक्षण प्राधिकरण" एक या अधिक व्यक्तियों जो प्राधिकरण द्वारा टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त हैं, से अभिप्रेत है;

(vi) "मध्यस्थ", इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, उन एंटिटियों को संदर्भित करता है जो किसी सेवा प्राप्तकर्ता को बिना कठिपय परतों के सीधे सेवाएं प्रदान करने के लिए टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता से सेवाएं प्राप्त करते हैं:-

**स्पष्टीकरण-**

(क) टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता ऐसी व्यवस्था केवल तभी कर सकते हैं, जब पक्षों के बीच सेवाओं का प्रवाह प्रदर्शनीय और पता लगाने योग्य हो।

(ख) टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह मध्यस्थ को जो सेवाएं प्रदान करता है और मध्यस्थ सेवा प्राप्तकर्ता को जो सेवाएं प्रदान करता है, दोनों का उद्देश्य अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के उप-खंड (i) से (xi) के अंतर्गत सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सूचीबद्ध किसी भी वित्तीय सेवा को जारी रखना है।

(vii) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)" का वही तात्पर्य होगा, जो अधिनियम उपधारा (1) के खंड (छ) के अंतर्गत निर्दिष्ट है;

- (viii) “अनिवासी” का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अंतर्गत परिभाषित ‘भारत के बाहर निवासी व्यक्ति’ से है और इसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय संस्थान भी शामिल होंगे;
- (ix) “निवासी” का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन परिभाषित ‘भारत में निवासी व्यक्ति से हैं’;
- (x). “सेवा प्राप्तकर्ता” का तात्पर्य एक ऐसी एंटीटी से है जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के उप-खंड (i) से (xi) में सूचीबद्ध किसी भी वित्तीय सेवा को चलाने के उद्देश्य से टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता से सीधे या किसी मध्यस्थ के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करती है;
- (xi) “एकल खिड़की आईटी प्रणाली (एसडब्ल्यूआईटी)” इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के प्रसंस्करण की सुविधा के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है।
- (xii). “निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा” का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वैकिंग) विनियम, 2020 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मुद्राओं से है।
- (xiii). “टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता” से तात्पर्य ऐसी इकाई से है जिसे अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के उप-खंड (i) से (xi) में सूचीबद्ध किसी भी वित्तीय सेवा को चलाने के लिए व्यवस्था करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता, मदद या सहायता करने के लिए क्रमशः प्रथम और द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट एक या अधिक सहायक सेवाएं या टेकफिन सेवाएं प्रदान करने के लिए इन विनियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है; स्पष्टीकरण - संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी सेवा को नहीं लेंगे।
- (xiv) “टेकफिन सेवाएं” का तात्पर्य प्रौद्योगिकी समाधान या प्रदत्त सेवाओं से हैं जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के उप-खंड (i) से (xi) में सूचीबद्ध किसी भी

वित्तीय सेवा को चलाने के लिए व्यवस्था करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग, मदद या सहायता करने के लिए प्रदान की जाती हैं।

- 2) इन विनियमों में प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, लेकिन अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम या अधिनियमों, या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6), या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमन में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों, विनियमों या उनके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में क्रमशः दिए गए हैं।

## अध्याय II रजिस्ट्रीकरण

### 4. रजिस्ट्रीकरण

- 1) टेकफिन या सहायक सेवाएँ या दोनों प्रदान करने की इच्छुक कोई एंटिटी, आईएएससी में अपना परिचालन तब तक शुरू नहीं करेगी जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अनुसार उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता:

बशर्ते कि समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 10 फरवरी, 2021 के परिपत्र के अंतर्गत "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सहायक सेवाओं को सक्षम करने के लिए फ्रेमवर्क" नामक अधिकृत विद्यमान अनुषंगी सेवा प्रदाता, (आगे "विद्यमान अनुषंगी सेवा प्रदाता" कहा जाएगा), या दिनांक 27 अप्रैल, 2022 के परिपत्र के अंतर्गत "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में फिनटेक इकाई के लिए फ्रेमवर्क" नामक अधिकृत विद्यमान टेकफिन, (जिसे आगे "विद्यमान टेकफिन" कहा जाएगा), को इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से बारह (12) महीने की अवधि के भीतर, इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा:

बशर्ते यह भी कि जहां कोई विद्यमान अनुषंगी सेवा प्रदाता या टेकफिन एंटिटी ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहती है, तो संस्था द्वारा किए गए आवेदन पर प्राधिकरण के अध्यक्ष लिखित रूप में दर्ज कारणों से अवधि को बारह (12) माह से अधिक, लेकिन कुल मिलाकर चौबीस (24) माह से अधिक नहीं की अवधि तक बढ़ा सकते हैं;

बशर्ते यह भी कि ऐसे अनुषंगी सेवा प्रदाता और टेकफिन एंटिटी को इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त होने तक विद्यमान संबंधित ढांचे द्वारा विनियमित और शासित किया जाना जारी रहेगा।

- 2) प्राधिकरण विद्यमान अनुषंगी सेवा प्रदाता या टेकफिन एंटिटी से इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रमाणित करने वाली घोषणा प्राप्त होने पर और ऐसी घोषणा से संतुष्ट होने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

## 5. आवेदक का कानूनी स्वरूप और पात्रता

- 1) आवेदक आईएफएससी में कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के रूप में निगमित एंटिटी होगी, या आईएफएससी के बाहर निगमित कंपनी या सीमित देयता भागीदारी की शाखा होगी, या प्राधिकरण द्वारा अनुमति किसी अन्य रूप में होगी: बशर्ते कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म, जिसमें उसके सभी भागीदार संसद के किसी अधिनियम के अधीन गठित व्यावसायिक निकाय या संस्थान के सदस्य हों, इन विनियमों के अधीन आवेदन करने के लिए भी पात्र होंगे।
- 2) आवेदक एंटिटी के सभी प्रवर्तक या भागीदार ऐसे क्षेत्राधिकार से होंगे, जिसे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक वक्तव्य में “कार्रवाई की मांग करने के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार” के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है।

## 6. आवेदन करने और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया

- 1) ऐसा आवेदक, जो टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने का इच्छुक है, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन शुल्क के साथ एसडब्ल्यूआईटी के माध्यम से प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 2) आवेदन पर विचार करने के बाद, यदि प्राधिकरण की राय है कि कुछ कमियों के कारण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता है, तो वह आवेदक को इसकी सूचना देगा, तथा उसे सूचना की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर उन कमियों को दूर करने की सलाह देगा, ऐसा न करने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा; बशर्ते कि आवेदक को लिखित प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 3) आवेदन पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकरण आवेदक को उचित समझी जाने वाली शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर सकता है।
- 4) सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने पर, आवेदक एक सौ अस्सी (180) दिनों की अवधि के भीतर, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा विस्तारित न किया जाए, इन विनियमों और सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
- 5) इस बात पर संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों को पूरा कर लिया है, प्राधिकरण उचित समझी जाने वाली शर्तों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है।

- 6) इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा, जब तक कि प्राधिकरण इसे निलंबित या रद्द नहीं कर देता या टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता द्वारा इन विनियमों के अनुसार स्वेच्छा से वापस नहीं ले लिया जाता:  
वर्तमान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का स्वैच्छिक वापस किया जाना प्राधिकरण द्वारा इसकी स्वीकृति के पश्चात ही प्रभावी होगा।
- 7) टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता को किसी भी भौतिक परिवर्तन की जानकारी प्राधिकरण को तुरंत देनी होगी, जिसका संबंध उसे दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से हो, और इसमें पहले से दी गई जानकारी या विवरण में कोई परिवर्तन शामिल है।

### अध्याय III

#### उपयुक्त और उचित अपेक्षाएँ और आचार संहिता

##### 7. उपयुक्त और उचित अपेक्षाएँ

- 1) टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि एंटीटी और उसके प्रमुख अधिकारी, अनुपालन अधिकारी, निदेशक/भागीदार/नामित भागीदार और नियंत्रक शेयरधारक हर समय 'उपयुक्त और उचित' व्यक्ति हैं।
- 2) उप-विनियमन (1) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को 'उपयुक्त और उचित' माना जाएगा, यदि-
- (i) ऐसे व्यक्ति का रिकॉर्ड निष्पक्षता और ईमानदारी से परिपूर्ण है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं-
    - (क) वित्तीय सत्यनिष्ठा;
    - (ख) अच्छी प्रतिष्ठा और सद्बुरित्र; और
    - (ग) ईमानदारी।
  - (ii) ऐसे व्यक्ति ने निम्नलिखित में से कोई भी अयोग्यता अर्जित नहीं की है:
    - क) व्यक्ति को पिछले पांच (5) वर्षों में नैतिक अधमता या किसी आर्थिक अपराध या अधिनियम या अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन किसी अपराध के लिए विधि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है;
    - ख) आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में किसी भारतीय या विदेशी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया है और लंबित है;
    - ग) आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में विधि न्यायालय या समकक्ष सांविधिक संस्थान द्वारा आरोप तय किए गए हैं;

- घ) किसी वैधानिक निकाय या वित्तीय नियामक प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है और लंबित है;
- इ) व्यक्ति के विरुद्ध दुर्घटनाक के लिए आदेश पारित किया गया है;
- च) व्यक्ति को अनुन्मोचित दिवालिया घोषित किया गया है;
- छ) किसी व्यक्ति को वित्तीय उत्पाद (उत्पादों) या वित्तीय सेवा (सेवाओं) तक पहुंच बनाने, प्रदान करने या उनमें सौदा करने से रोकने, निपिछा करने या वर्जित करने वाला कोई आदेश, किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सेवा बाजार से संबंधित किसी मामले में पारित किया गया है और ऐसा आदेश लागू है;
- ज) कोई अन्य आदेश, जिसका वित्तीय सेवा बाजार पर भौतिक प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के विरुद्ध प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है, और आदेश की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है;
- स्पष्टीकरण.- इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए, भौतिकता निर्धारित करने का निर्णय प्राधिकरण के पास होगा;
- झ) व्यक्ति को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया है और यह निष्कर्ष प्रभावी है;
- ज) व्यक्ति वित्तीय रूप से स्वस्थ नहीं है या उसे जानबूझकर व्यतिक्रमकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- ट) व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है; या
- ठ) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य अयोग्यता।
- 3) जहां किसी व्यक्ति को नियामक प्राधिकरण के आदेश द्वारा 'उपयुक्त और योग्य' घोषित नहीं किया गया है, ऐसा व्यक्ति तब तक किसी भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह 'उपयुक्त और योग्य' अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता।

## 8. आचार संहिता

टेकफिन और अनुपर्यंगी सेवा प्रदाता चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेंगे।

### अध्याय IV

#### प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी की आवश्यकता

## 9. नियुक्ति एवं नामित

- 1) टेकफिन और अनुपर्यंगी सेवा प्रदाता एक प्रधान अधिकारी नियुक्त करें या अपने वर्तमान अधिकारियों में से किसी एक को प्रधान अधिकारी के रूप नामित करेंगे जो कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार होगा:

बशर्ते कि टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता के मामले में जो आईएफएससी में स्थित अपने समूह एंटिटियों को विशेष रूप से सेवाएं प्रदान करता है, प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन एक प्रधान अधिकारी की नियुक्ति वैकल्पिक है।

- 2) टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करें या अपने वर्तमान अधिकारियों में से किसी एक को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित करेंगे जो नीतियों, प्रक्रियाओं, अभिलेखों के अनुरक्षण, इन विनियमों और अन्य लागू कानूनों के अधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और निदेशक मंडल या संगठन के प्रमुख को रिपोर्ट करेगा, जैसा भी मामला हो।
- 3) प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता के पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे और आईएफएससी से बाहर रहेंगे।

## अध्याय V मध्यस्थ और सेवा प्राप्तकर्ता

### 10. पात्र मध्यस्थ और सेवा प्राप्तकर्ता

- 1) टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता केवल ऐसे मध्यस्थ या सेवा प्राप्तकर्ता को सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं, जो अनिवासी हो और ऐसे क्षेत्राधिकार से हो, जिसे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक वक्तव्य में “कार्रवाई की मांग किए जाने के अध्यधीन उच्च जोखिम क्षेत्राधिकार” के रूप में निहित नहीं किया गया हो;
- 2) उप-विनियमन (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए, टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता आईएफएससी या विदेश में अपना कार्यालय स्थापित करने के सीमित उद्देश्य के लिए निवासी को भी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

## अध्याय VI विविध

### 11. परिचालन की मुद्रा

- 1) टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता किसी भी निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में अपना परिचालन करेंगे:  
बशर्ते कि टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता अपने प्रशासनिक और वैधानिक व्ययों को पूरा करने और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए आईएनआर खाता खोल सकते हैं, जिनकी अनुमति लागू विधानों के अधीन दी जा सकती है।
- 2) प्रत्येक टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता किसी भी निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में अपना तुलना पत्र का अनुरक्षण करेगा।

**12. रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ**

- 1) टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता प्राधिकरण को अपने परिचालन से संबंधित जानकारी प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके, अंतराल और रूप में प्रस्तुत करेंगे।
- 2) टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकरण को कोई भी वित्तीय रिपोर्टिंग अमेरिकी डॉलर में होगी, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

**13. विनियमों के कठोर प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति**

- 1) प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आईएफएससी में वित्तीय सेवा बाजार के विकास के हित में, इन विनियमों की किसी भी आवश्यकता के कठोर प्रवर्तन में ढील दे सकता है।
- 2) उप-विनियम (1) के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए, विवरण और जिन आधारों पर ऐसी छूट मांगी गई है, उन्हें देते हुए आवेदन को प्राधिकरण के पास प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ फ्राइल किया जाएगा।
- 3) उप-विनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन पर, सभी मामलों में पूर्ण रूप से, प्राधिकरण द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के जवाबों सहित, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी और आवेदक द्वारा मांगी गई छूट को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

**14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**

प्राधिकरण, इन विनियमों के उपबंधों की व्याख्या या आवेदन में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, मार्गदर्शन नोट या परिपत्रों के माध्यम से निदेश जारी कर सकता है।

**15. मानदंड, प्रक्रियाएँ निर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति**

इन विनियमों और उनसे संबंधित मामलों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण परिपत्रों या दिशा-निदेशों या निदेशों के माध्यम से मानदंड, प्रक्रियाएँ, प्रक्रियाएँ, अतिरिक्त आवश्यकताएँ आदि निर्दिष्ट कर सकता है।

**16. शुल्क का भुगतान**

टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता वार्षिक शुल्क और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान करेगा।

**17. सूचना माँगने की शक्ति**

प्राधिकरण टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता से कोई भी सूचना, दस्तावेज या रिकॉर्ड माँग सकता है और टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता का यह कर्तव्य होगा कि वे निर्दिष्ट समय के भीतर उसे प्रस्तुत करें।

### **18. निरीक्षण करने की शक्ति**

प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर, एक या एक से अधिक व्यक्तियों को निरीक्षण प्राधिकरण के रूप में, अन्य वातों के साथ-साथ, टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता की लेखा पुस्तकों, अभिलेखों, दस्तावेजों, बुनियादी ढांचे, प्रक्रियाओं और प्रणालियों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

### **19. व्यतिक्रम की स्थिति में कार्रवाई**

- 1) यदि टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता इन विनियमों, परिपत्रों, दिशा-निदेशों या इसके अधीन जारी निदेशों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करते हैं, तो प्राधिकरण, जैसा वह उचित समझे, कोई भी कार्रवाई शुरू कर सकता है।
- 2) उप-विनियम (1) के अधीन संदर्भित कोई भी कार्रवाई टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता को लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी।

### **20. निरसन और व्यावृत्ति**

- 1) इन विनियमों के प्रारंभ से ही, समय-समय पर संशोधित दिनांक 10 फरवरी, 2021 का "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों पर सहायक सेवाओं को सक्षम करने के लिए फ्रेमवर्क" नामक परिपत्र और इसके अधीन जारी कोई भी अन्य परिपत्र, इन विनियमों के प्रारंभ से चौबीस (24) महीने के बाद निरस्त हो जाएगा।
- 2) 27 अप्रैल, 2022 के परिपत्र के खंड 7 और अनुलग्नक-I के अधीन उल्लिखित टेकफिन से संबंधित "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में फिनटेक एंटिटी के लिए फ्रेमवर्क" नामक उपबंध, इन विनियमों के प्रारंभ होने से चौबीस (24) महीने बाद निरस्त हो जाएंगे।
- 3) ऐसे निरसन के बावजूद, विद्यमान अनुषंगी सेवा प्रदाता और संबंधित उपर्युक्त परिपत्र के अधीन अधिकृत टेकफिन एंटिटियाँ, इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त होने तक या इन विनियमों के प्रारंभ होने से बारह (12) महीने तक, जो भी पहले हो, जब तक कि इसकी अवधि में वृद्धि न की जाए, उन्हीं विनियमों द्वारा शासित होती रहेंगी।
- 4) ऐसे निरसन के बावजूद, निरसित परिपत्रों का पूर्व संचालन या उसके अधीन की गई कोई बात, निरसित परिपत्रों के अधीन अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता, निरसित परिपत्रों के विरुद्ध किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई दंड, या पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय, अप्रभावित रहेंगे, मानो निरसित परिपत्रों को कभी निरस्त ही नहीं किया गया हो।

**प्रथम अनुसूची**  
**[विनियमन 3(1)(xiii) देखें]**

**अनुमत सहायक सेवाओं की सूची:**

- (i) बीमांकिक सेवाएँ;
- (ii) सलाहकार सेवाएँ;
- (iii) परिसंपत्ति प्रबंधन सहायता सेवाएँ;
- (iv) लेखा परीक्षा सेवाएँ;
- (v) व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग;
- (vi) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन, एकीकृत रिपोर्टिंग, वित्तीय रिपोर्टिंग, गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग, कारपोरेट स्थिरता रिपोर्टिंग, बोर्ड रिपोर्टिंग, वार्षिक रिपोर्ट, अन्य विनियामक रिपोर्टिंग को कवर करने वाली अनुपालन प्रबंधन सहायता सेवाएँ;
- (vii) ग्राहक सेवा सहायता सेवाएँ;
- (viii) उद्यम शासन से संबंधित सहायता सेवाएँ अर्थात् कारपोरेट शासन सिद्धांतों का मूल्यांकन, बोर्ड प्रभावशीलता का मूल्यांकन, बोर्ड प्रक्रियाएँ, बोर्ड समितियाँ, कारपोरेट नीतियों और प्रकटीकरणों की तैयारी और समीक्षा, बोर्ड और प्रबंधन का प्रदर्शन मूल्यांकन, संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा, शेयरधारकों के अधिकारों का निष्पादन;
- (ix) निधि लेखांकन सहित निधि प्रशासन सेवाएँ;
- (x) मानव संसाधन और पेरोल प्रसंस्करण;
- (xi). दिवाला व्यावसायिक सेवाएँ और परिसमापन से संबंधित सहायता सेवाएँ;
- (xii). ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग;
- (xiii). कानूनी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग;
- (xiv). कानूनी सेवाएँ;
- (xv). प्रबंधन परामर्श सेवाएँ;
- (xvi). विपणन सहायता सेवाएँ;
- (xvii). आउटसोर्स की गई सेवाएं, जो इस अनुसूची में शामिल नहीं हैं, लेकिन अपने गृह क्षेत्राधिकार के किसी भी वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित इकाई द्वारा आउटसोर्स किए जाने की अनुमति है;
- (xviii). जोखिम प्रबंधन से संबंधित सेवाएँ, अर्थात् जोखिम पहचान, जोखिम विश्लेषण, जोखिम माप, जोखिम शमन, जोखिम उन्मूलन, आंतरिक लेखा परीक्षा, जोखिम लेखा परीक्षा, जोखिम से संबंधित प्रकटीकरण के लिए सहायता सेवाएँ प्रदान करना;
- (xix). सचिवीय सेवाएँ;
- (xx). आईएफएससी में अनुमत लीजिंग कार्यकलापों के लिए ब्रोकिंग सेवाएँ;

- (xxi). आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहायता;
- (xxii). अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूँजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2025 के अधीन अनुमति डिवेंचर ट्रस्टी सेवाओं को छोड़कर, सुविधा एजेंट कार्यों सहित ट्रस्टीशिप सेवाएँ;
- (xxiii). मूल्यांकन सेवाएँ;
- (xxiv). बैंकिंग सेवाओं के लिए वॉयस ब्रोकिंग;
- (xxv). फैमिली ऑफिस सहायता सेवाएँ;
- (xxvi). आईएफएससी में अध्ययन और काम करने के इच्छुक विदेशी देशों के छात्रों और कर्मचारियों के लिए वैश्विक गतिशीलता सेवाएँ (आव्रजन सहायता सेवाएँ);
- (xxvii). अनुसंधान और विकास सहायता सेवाएँ (प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास सहायता को छोड़कर) प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र / अपतटीय विकास केंद्र / वित्तीय क्षमता केंद्र; आईएफएससी में काम करने वाले कर्मचारियों और विदेशी देश के व्यक्तियों/एंटिटियों को कौशल विकास, प्रशिक्षण और प्रमाणन सेवाएँ;
- (xxviii). प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमति दी जाने वाली कोई अन्य सेवाएँ।

## दूसरी अनुसूची

[विनियमन 3(1)(xiii) देखें]

**अनुमति टेक्फिल सेवाओं की सूची:**

- i. गतिवर्धक;
- ii. एग्री टेक;
- iii. बिग डेटा और एनालिटिक्स;
- iv. जलवायु, हरित और/या संधारणीय तकनीक;
- v. क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएँ;
- vi. साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा वास्तुकला और साइबर जोखिम प्रबंधन सेवाएँ;
- vii. अनुप्रयोग विकास और अनुरक्षण;
- viii. स्वचालन और रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन;
- ix. उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) प्रणालियाँ;
- x. उद्यम प्रशासन, जोखिम और अनुपालन (ईजीआरसी) सॉफ्टवेयर प्लेटफार्मों का कार्यान्वयन;
- xi. सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और क्लाउड बीमा;
- xii. भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी आईटी अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सेवाओं का प्रबंधन;
- xiii. आउटसोर्स की गई सेवाएँ, जो इस अनुसूची में शामिल नहीं हैं, लेकिन अपने गृह क्षेत्राधिकार के किसी भी वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित एंटिटी द्वारा आउटसोर्स किए जाने की अनुमति है;
- xiv. नियामक तकनीक;
- xv. डेटा केंद्रों से संबंधित सेवाएँ और संचालन;
- xvi. समाधान या सेवाएँ प्रदान की जाती हैं:
  - (क) कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मशीन लर्निंग,
  - (ख) बायोमेट्रिक्स या चैटबॉट,
  - (ग) डिजिटल पहचान / केवाईसी / एएमएल / सीएफटी,
  - (घ) धोखाधड़ी का पता लगाना / रोकथाम,
  - (ङ) वितरित खाता प्रौद्योगिकी (डीएलटी),
  - (च) इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT),

- (छ) दीर्घावधि वित्त,
- (ज) संवर्धित वास्तविकता (एआर) और/या आभासी वास्तविकता (वीआर) सहित मेटावर्स,
- (झ) क्लांटम तकनीक,
- (ञ) वेब 3.0.
- xvii. अंतरिक्ष तकनीक;
- xviii. पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी;
- xix. व्यापार वित्त में सहायक प्रौद्योगिकी समाधान;
- xx. डिजिटल बैंकिंग का समर्थन करने वाला प्रौद्योगिकी समाधान;
- xxi. आईटी से संबंधित विकास, वृद्धि, अनुरक्षण और समर्थन सेवाओं सहित प्रौद्योगिकी समाधान;
- xxii. टोकनाइजेशन समर्थन सेवाएं;
- xxiii. उत्कृष्टता केंद्र, अपतटीय विकास केंद्र, प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता केंद्र;
- xxiv. प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा अनुमत्त कोई अन्य सेवाएं।

**तीसरी अनुसूची**  
**[विनियमन 3(1)(xiii) देखें]**

इन विनियमों के अंतर्गत टेकफिल और अनुषंगी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान न किए जाने की अनुमति वाली सेवाओं की सूची:

- (i) मुख्य कार्यकलाप जिन्हें गृह क्षेत्राधिकार के किसी भी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित एंटिटी द्वारा आउटसोर्स करने की अनुमति नहीं है;
- (ii) कार्यकलाप जो आईएफएससीए द्वारा जारी किसी भी विनियमन या फ्रेमवर्क के अंतर्गत विनियमित हैं;
- (iii) सुविधा प्रबंधन सेवाएँ जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भवन अनुरक्षण, सुरक्षा सेवाएँ, हाउसकीपिंग सेवाएँ, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग अनुरक्षण सेवाएँ या कोई अन्य संबंधित जनशक्ति आउटसोर्स सेवाएँ शामिल हैं;
- (iv) परिवहन और संभार-तंत्र संबंधी सेवाएँ, निर्माण संबंधी सेवाएँ और भौतिक संपत्तियों का प्रबंधन; और
- (v) कोई अन्य सेवाएँ जो प्राधिकरण की राय में अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (1) के खंड (ङ) के उप-खंड (i) से (xi) में सूचीबद्ध किसी भी वित्तीय सेवा को संचालित करने की व्यवस्था नहीं करती हैं।

**चौथी अनुसूची**  
**[विनियमन (8) देखें]**

टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता के लिए आचार संहिता:

- (i) टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक नियमों और प्राधिकरण या किसी संबंधित नियामक या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले किसी भी विनियमन, दिशानिदेश, परिपत्र या निदेशों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (ii) टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता प्राधिकरण को पहले से प्रस्तुत की गई जानकारी या विवरण में किसी भी भौतिक परिवर्तन के बारे में सूचित करेंगे, जिसका प्राधिकरण द्वारा दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर असर पड़ता है।
- (iii) टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता, यदि उसके किसी प्रवर्तक या महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी के गृह क्षेत्राधिकार को वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के सार्वजनिक वक्तव्य में "कार्रवाई की मांग किए जाने के अध्यधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार" के रूप में चिह्नित किया जाता है, तो एफएटीएफ द्वारा प्रकाशन की तारीख से दस (10) व्यावसायिक दिनों के भीतर प्राधिकरण को सूचित करेगा।
- (iv) टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता आईएफएससी में अपने व्यावसायिक संचालन के अनुरूप पर्याप्त जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की तैनाती करेंगे।
- (v) टेकफिन और अनुषंगी सेवा प्रदाता आईएफएससी में विनियमित कार्यकलापों को करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी उचित विनियमों या ढांचे के अधीन अलग से रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकरण की मांग करेंगे।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./226/2025-26]

**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**  
**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 8th July, 2025

**International Financial Services Centres Authority (TechFin and Ancillary Services) Regulations, 2025**

**IFSCA/GN/2025/005.** *In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28, read with sub-section (1) of Section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely: -*

**CHAPTER I**  
**PRELIMINARY**

**1. Short title and commencement**

- 1) These regulations shall be called the International Financial Services Centres Authority (TechFin and Ancillary Services) Regulations, 2025.
- 2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Objectives**

These regulations are aimed at providing a regulatory framework for TechFins and Ancillary Services Providers for making arrangements for carrying on any of the financial services listed in sub-clauses (i) to (xi) of clause (e) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019).

**3. Definitions**

- 1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned to them below and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly: -
  - (i). “**Act**” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
  - (ii). “**Ancillary Services**” means those services which, directly or indirectly, aid, help or assist in making arrangements for carrying on any of the financial services listed in sub-clauses (i) to (xi) of clause (e) of sub- section (1) of section 3 of the Act;
  - (iii). “**Authority**” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
  - (iv). “**Group Entities**” includes an arrangement involving two or more entities related to each other through any of the following relationships:
    - (a) parent- subsidiary (as per Ind-AS 110/AS 21);
    - (b) joint venture (as per Ind-AS 28/AS 27);

- (c) associate (as per Ind-AS 28/AS 23);
- (d) common brand name;
- (e) investment in equity shares/capital contribution of 20 per cent and above; or
- (f) part of a network;

*Explanation.-* For the purpose of this clause, ‘network’ shall mean a larger structure of a group of firms that have come together for mutual benefits by pooling resources, showcase their combined strength and have uniform policies, technology and collaterals, and showcase themselves as one big unit, with one lead firm acting on behalf of the member-firms.

- (v). **“Inspecting Authority”** means one or more persons appointed by the Authority to undertake inspection of a TechFin and Ancillary Service Provider;
- (vi). **“Intermediaries”**, for the purposes of these regulations, refers to entities that obtain services from a TechFin and Ancillary Services Provider for delivering services to a Service Recipient directly without any layers: -

*Explanations. -*

- (a) The TechFin and Ancillary Services Provider may enter into such arrangements only where the flow of services between the parties is demonstrable and traceable.
- (b) The TechFin and Ancillary Services Provider must ensure that the services it delivers to the Intermediary and the services the Intermediary delivers to the Service Recipient, are both intended to facilitate carrying on any of the financial services listed in sub-clauses (i) to (xi) of clause (e) of sub-section (1) of Section 3 of the Act by the Service Recipient.
- (vii). **“International Financial Services Centre (IFSC)”** shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;
- (viii). **“Non-resident”** means a ‘person resident outside India’ as defined under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and shall also include financial institutions in an International Financial Service Centre;
- (ix). **“Resident”** means a ‘person resident in India’ as defined under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- (x). **“Service Recipient”** means an entity that receives services, directly from TechFin and Ancillary Service Provider or through an Intermediary for the purpose of carrying on any of the financial services listed in sub-clauses (i) to (xi) of clause (e) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;
- (xi). **“Single Window IT Systems (SWIT)”** refers to an online platform specified by the Authority, to facilitate the processing of applications submitted by the applicants for obtaining certificate of registration under these regulations;
- (xii). **“Specified Foreign Currency”** means the currencies specified in the First Schedule of the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020, as amended from time to time;
- (xiii). **“TechFin and Ancillary Service Provider”** means an entity which has been granted registration under these regulations for providing one or more

of the Ancillary Services or TechFin Services, specified in the First and Second Schedule, respectively, directly or indirectly, to aid, help or assist in making arrangements for carrying on any of the financial services listed in sub-clauses (i) to (xi) of clause (e) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;

*Explanation.* - For removal of doubts, it is hereby clarified that the TechFin and Ancillary Service Providers registered under these regulations shall not undertake any of the services specified in the Third Schedule.

- (xiv). “TechFin Services” means technology solutions or services provided, directly or indirectly, to aid, help or assist in making arrangements for carrying on any of the financial services listed in sub- clauses (i) to (xi) of clause (e) of sub-section (1) of Section 3 of the Act.
- 2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act, or the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules, regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

## ***CHAPTER II*** **REGISTRATION**

### **4. Registration**

- 1) An entity desirous of providing either TechFin or Ancillary Services or both, shall not commence its operations in the IFSC unless a certificate of registration is granted by the Authority to it in accordance with these regulations:

*Provided* that an existing ancillary service provider authorised under Circular dated February 10, 2021, as amended from time to time, titled as “Framework for enabling Ancillary services at International Financial Services Centres” (hereinafter referred to as “existing Ancillary Service Provider”), or an existing TechFin authorised under Circular dated April 27, 2022, titled as “Framework for FinTech Entity in the International Financial Services Centres” (hereinafter referred to as “existing TechFin”), shall within a period of twelve (12) months from the date of commencement of these regulations, obtain a certificate of registration under these regulations;

*Provided further* that where an existing Ancillary Service Provider or TechFin entity is unable to obtain the certificate of registration within the period specified above, on an application made by the entity, the Chairperson of the Authority may, for reasons recorded in writing, grant an extension beyond twelve (12) months, but not exceeding twenty-four (24) months in aggregate;

*Provided also* that such Ancillary Service Provider and TechFin entity shall continue to be regulated and governed by the existing respective frameworks, till the time it is granted a certificate of registration under these regulations.

- 2) The Authority may, upon receipt of a declaration from the existing Ancillary Services Provider or TechFin entity, certifying the compliance with the requirements specified under these regulations, and on being satisfied with such declaration, issue a certificate of registration.

## 5. Legal Form of the Applicant and Eligibility

- 1) The applicant shall be an entity incorporated as a company or limited liability partnership in the IFSC, or a branch of a company or of a limited liability partnership incorporated outside the IFSC, or in any other form as may be permitted by the Authority:

*Provided* that a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932, wherein all its partners are members of professional body or institute constituted under any Act of Parliament, shall also be eligible to make an application under these regulations.

- 2) All the promoters or partners of the applicant entity shall be from a jurisdiction which has not been identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as “*High-Risk Jurisdictions subject to call for action*”.

## 6. Procedure for making application and grant of Certificate of Registration

- 1) An applicant desirous of obtaining certificate of registration as TechFin and Ancillary Services Provider shall submit the application to the Authority through SWIT, along with the requisite documents and application fees, in the manner specified by the Authority.

- 2) After considering the application, if the Authority is of the opinion that the certificate of registration cannot be granted due to certain deficiencies, it shall communicate the same to the applicant, advising it to rectify those deficiencies within thirty (30) days from the date of communication, failing which the application shall be liable to be rejected:

*Provided* that no application shall be rejected without giving the applicant a reasonable opportunity of being heard by way of written submissions.

- 3) On consideration of the application, the Authority may grant *in-principle* approval to the applicant, subject to such conditions as deemed fit.

- 4) On receipt of *in-principle* approval, the applicant shall, within a period of one hundred eighty (180) days, unless extended by the Authority, take necessary steps to comply with these regulations and conditions of the *in-principle* approval.

- 5) On being satisfied that the applicant has fulfilled the conditions of the *in-principle approval*, the Authority may grant a certificate of registration, subject to such conditions as it deemed fit.

- 6) The certificate of registration granted under these regulations shall be valid, unless suspended or cancelled by the Authority or voluntarily surrendered by the TechFin and Ancillary Service Provider in accordance with these regulations:

*Provided*, the voluntary surrender of certificate of registration shall be effective only after its acceptance by the Authority.

- 7) The TechFin and Ancillary Service Provider shall immediately furnish to the Authority of any material changes, having bearing on the certificate of registration granted to it including any change in the information or particulars previously furnished.

***CHAPTER III***  
**FIT AND PROPER REQUIREMENTS AND CODE OF CONDUCT**

**7. Fit and Proper requirements**

- 1) The TechFin and Ancillary Services Provider shall ensure that the entity and its principal officer, compliance officer, directors/ partners/ designated partners, and controlling shareholders are ‘fit and proper’ persons, at all times.
- 2) For the purpose of sub-regulation (1), a person shall be deemed to be a ‘fit and proper’ if,-
  - (i). such a person has a record of fairness and integrity, including but not limited to-
    - (a) financial integrity;
    - (b) good reputation and character; and
    - (c) honesty.
  - (ii). such a person has not incurred any of the following disqualifications:
    - a) the person has been convicted by a court of law for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence, under the Act or Acts mentioned in the First Schedule of the Act, in last five (5) years;
    - b) charge sheet has been filed against such person by any Indian or foreign enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;
    - c) charges have been framed by a court of law or an equivalent institution in matters concerning economic offences;
    - d) a recovery proceeding has been initiated against the person by a statutory body or financial regulatory authority and is pending;
    - e) an order has been passed against the person for malfeasance;
    - f) the person has been declared an undischarged insolvent;
    - g) An order, restraining, prohibiting or debarring the person from accessing, providing or dealing in financial product (s) or financial service (s), has been passed by any regulatory authority, in any matter concerning financial services market and such order is in force;
    - h) any other order , which has a material bearing on the financial services market, has been passed against the person by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three (3) years from the date of the order has not elapsed’;
 

*Explanation. - For the purpose of this sub-clause, the decision to determine materiality shall be with the Authority;*

      - i) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
      - j) the person is financially not sound or has been categorized as a wilful defaulter;
      - k) the person has been declared a fugitive economic offender; or
      - l) any other disqualification as may be specified by the Authority.
  - 3) Where any person has been declared as not ‘fit and proper’ by an order of a regulatory authority, such a person shall not be eligible to apply for any registration, until such person satisfies the ‘fit and proper’ requirements.

**8. Code of Conduct**

The TechFin and Ancillary Service Provider shall abide by the Code of Conduct specified in the Fourth Schedule.

***CHAPTER IV*****REQUIREMENT OF PRINCIPAL OFFICER AND COMPLIANCE OFFICER****9. Appointment or Designation**

- 1) The TechFin and Ancillary Service Provider shall appoint a principal officer or designate one of its existing officers as a principal officer, who shall be responsible for its overall activities:

*Provided* that in the case of a TechFin and Ancillary Service Provider providing services exclusively to its Group Entities located in the IFSC, the appointment of a principal officer is optional subject to the approval of the Authority.

- 2) The TechFin and Ancillary Service Provider shall appoint a compliance officer or designate one of its existing officers as a compliance officer, who shall be responsible for the compliance of policies, procedures, maintenance of records, implementation of the requirements under these regulations, other applicable laws, and reports to the Board of Directors or head of the organisation, as the case may be.
- 3) The principal officer and compliance officer shall be full-time employees of TechFin and Ancillary Service Provider and shall be based out of the IFSC.

***CHAPTER V***  
**INTERMEDIARIES AND SERVICE RECIPIENTS****10. Eligible Intermediaries and Service Recipients**

- 1) The TechFin and Ancillary Service Provider may provide the services only to an Intermediary or a Service Recipient, who is a Non-resident and from a jurisdiction which has not been identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as "*High-Risk Jurisdiction subject to call for action*".
- 2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the TechFin and Ancillary Service Provider may also provide the services to a Resident, for the limited purpose of setting up of their office in the IFSC or Overseas.

***CHAPTER VI***  
**MISCELLANEOUS****11. Currency of operations**

- 1) The TechFin and Ancillary Service Provider shall carry out its operation in any of the Specified Foreign Currency:  
*Provided* that the TechFin and Ancillary Service Provider may open an INR account to defray its administrative and statutory expenses and for such other purposes as may be permitted under the applicable laws.
- 2) Every TechFin and Ancillary Service Provider shall maintain its balance sheet in any of the Specified Foreign Currencies.

**12. Reporting requirements**

- 1) The TechFin and Ancillary Service Provider shall furnish information relating to its operations to the Authority, in such manner, interval and form, as may be specified by the Authority.
- 2) Any financial reporting by the TechFin and Ancillary Service Provider to the Authority shall be in US Dollar, unless otherwise specified by the Authority.

**13. Power to relax strict enforcement of the regulations**

- 1) The Authority, for reasons to be recorded in writing, may in the interest of the development of the financial services market in the IFSC, relax the strict enforcement of any requirements of these regulations.
- 2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Authority along with a non-refundable fee as may be specified by the Authority.
- 3) The application made under sub-regulation (2), complete in all respects, shall be processed within thirty (30) days from the date of receipt of the application, including responses to clarifications sought by the Authority, and the reasons for acceptance or refusal of the relaxations sought by the applicant shall be recorded in writing.

**14. Power to remove difficulties**

In order to remove any difficulty in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority may issue directions through guidance notes or circulars.

**15. Power to specify norms, procedures and issue clarifications**

For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes, additional requirements, etc. by way of circulars or guidelines or directions.

**16. Payment of Fees**

The TechFin and Ancillary Service Provider shall pay the annual fees, and any other fees as may be specified by the Authority from time to time.

**17. Power to call for information**

The Authority may call for any information, documents or records from the TechFin and Ancillary Service Provider and it shall be the duty of the TechFin and Ancillary Service Provider to submit the same within the specified time.

**18. Power to Inspect**

The Authority, may *suo motu* or upon receipt of information or complaint, appoint one or more persons as Inspecting Authority to, *inter-alia*, undertake the inspection of books of accounts, records, documents, infrastructure, procedures and systems of a TechFin and Ancillary Service Provider.

**19. Action in case of default**

- 1) The Authority may initiate any action, as it may deem fit, in case a TechFin and Ancillary Service Provider contravenes any of the provisions of these regulations, circulars, guidelines or directions issued thereunder.
- 2) No action as referred under sub-regulation (1) shall be taken without giving the TechFin and Ancillary Service Provider, a reasonable opportunity of being heard by way of written submissions.

**20. Repeal and Savings**

- 1) On and from the commencement of these regulations, the Circular dated February 10, 2021 as amended from time to time, titled as “Framework for enabling Ancillary services at International Financial Services Centres” and any other circulars issued

thereunder, shall stand repealed after twenty-four (24) months from the commencement of these regulations.

- 2) The provisions related to TechFin mentioned under clause 7 and Annexure-I of the Circular dated April 27, 2022, titled as “Framework for FinTech Entity in the International Financial Services Centres (IFSCs)”, shall stand repealed after twenty-four (24) months from the commencement of these regulations.
- 3) Notwithstanding such repeal, the existing Ancillary Service Providers and TechFin entities authorised under the respective aforementioned Circulars shall continue to be governed by them, till the receipt of certificate of registration under these regulations or up to twelve (12) months from the commencement of these regulations, unless extended, whichever is earlier.
- 4) Notwithstanding such repeal, the previous operation of the repealed Circulars or anything done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Circulars, any penalty, incurred in respect of any violation committed against the repealed Circulars, or any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty as aforesaid, shall remain unaffected as if the repealed Circulars have never been repealed.

#### **THE FIRST SCHEDULE**

[refer regulation 3(1)(xiii)]

##### **List of permitted Ancillary Services:**

- (i). Actuarial services;
- (ii). Advisory services;
- (iii). Assets management support services;
- (iv). Auditing services;
- (v). Business process outsourcing;
- (vi). Compliance management support services covering assessment of internal control system, integrated reporting, financial reporting, non-financial reporting, corporate sustainability reporting, board reporting, annual report, other regulatory reporting;
- (vii). Customer care support services;
- (viii). Enterprise governance related support services namely, assessment of the corporate governance principles, assessment of board effectiveness, board processes, board committees, preparation and review of corporate policies & disclosures, performance evaluation of board and management, review of related party transactions, execution of shareholders' rights;
- (ix). Fund administration services including fund accounting;
- (x). Human resource & payroll processing;
- (xi). Insolvency professional services and liquidation related support services;
- (xii). Knowledge process outsourcing;
- (xiii). Legal process outsourcing;
- (xiv). Legal services;
- (xv). Management consulting services;
- (xvi). Marketing support services;
- (xvii). Outsourced services, which are not covered in this Schedule but are permitted to be outsourced by the entity regulated by any financial sector regulator of its home jurisdiction;

- 
- (xviii). Risk management related services, namely providing support services to risk identification, risk analysis, risk measurement, risk mitigation, risk elimination, support to internal audit, risk audit, risk related disclosures;
  - (xix). Secretarial services;
  - (xx). Broking services for leasing activities permitted in the IFSC;
  - (xxi). Supply chain management support;
  - (xxii). Trusteeship services including facility agent functions, except debenture trustee services permitted under the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2025;
  - (xxiii). Valuation services;
  - (xxiv). Voice broking for banking services;
  - (xxv). Family office support services;
  - (xxvi). Global mobility services (Immigration support services) for students and employees of foreign countries intending to study and work at IFSC respectively;
  - (xxvii). Centre of excellence / offshore development centre/ financial capability centre to provide research and development support services (excluding R&D support in technology); skill development, training and certification services to employees working in the IFSC and individuals/entities from foreign country;
  - (xxviii). Any other services as may be permitted by the Authority from time to time.

***THE SECOND SCHEDULE***

[refer regulation 3(1)(xiii)]

**List of permitted TechFin Services:**

- (i). Accelerators;
- (ii). Agri Tech;
- (iii). Big data & analytics;
- (iv). Climate, Green and/or Sustainable Tech;
- (v). Cloud computing services;
- (vi). Cyber security, cyber security architecture and cyber risk management services;
- (vii). Application development and maintenance;
- (viii). Automation and robotic process automation;
- (ix). Enterprise resource planning (ERP) systems;
- (x). Implementation of enterprise Governance, Risk and Compliance (eGRC) software platforms;
- (xi). Information Technology infrastructure & cloud insurance;
- (xii). Management of IT infrastructure and technology services associated with payment system ecosystem;
- (xiii). Outsourced services, which are not covered in this Schedule but are permitted to be outsourced by the entity regulated by any financial sector regulator of its home jurisdiction;
- (xiv). Regulatory Tech;
- (xv). Services and operations related to data centres;
- (xvi). Solutions or services provided by leveraging:
  - a. Artificial Intelligence or Machine Learning,
  - b. Biometrics or Chatbots,
  - c. Digital Identity /KYC/AML/CFT,
  - d. Fraud detection/prevention,
  - e. Distributed Ledger Technology (DLT),
  - f. Internet of Things (IoT),
  - g. Longevity finance,
  - h. Metaverse including Augmented Reality (AR) and /or Virtual Reality (VR),
  - i. Quantum tech,
  - j. Web 3.0.
- (xvii). Space Tech;
- (xviii). Supervisory Technology;
- (xix). Technology solution aiding trade finance;
- (xx). Technology solution supporting digital banking;
- (xxi). Technology solutions including IT related development, enhancement, maintenance and support services;
- (xxii). Tokenization support services;
- (xxiii). Centre of excellence, Offshore development centre, Technology capability centre to provide R & D support in technology;
- (xxiv). Any other services as may be permitted by the Authority from time to time.

***THE THIRD SCHEDULE***  
[refer regulation 3(1)(xiii)]

**List of services not permitted to be provided by TechFin and Ancillary Service Provider under these regulations:**

- (i) Core activities which are not permitted to be outsourced by an entity regulated by any financial sector regulators of home jurisdictions;
- (ii) Activities which are regulated under any regulations or framework issued by IFSCA;
- (iii) Facility management services which *inter-alia* includes building maintenance, security services, housekeeping services, civil, mechanical, electrical and plumbing maintenance services or any other related manpower outsourced services;
- (iv) Transport and logistic services, construction related services, and management of physical assets; and
- (v) Any other services which, in the opinion of the Authority, do not constitute making arrangements for carrying on any of the financial services listed in sub-clauses (i) to (xi) of clause (e) of sub-section (1) of section (3) of the Act.

***THE FOURTH SCHEDULE***  
[refer regulation (8)]

**Code of Conduct for the TechFin and Ancillary Service Provider:**

- (i). The TechFin and Ancillary Service Provider shall ensure compliance with the requirements prescribed in the relevant rules issued by the Central Government and in any regulations, guidelines, circulars or instructions as may be issued from time to time by the Authority or any concerned regulators or authorities.
- (ii). The TechFin and Ancillary Service Provider shall inform the Authority of any material change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on the certificate of registration granted by the Authority.
- (iii). The TechFin and Ancillary Service Provider shall notify the Authority, if any of its promoter's or significant beneficial owner's home jurisdiction is identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as "*High-Risk Jurisdiction subject to call for action*", within ten (10) business days from the date of publication by FATF.
- (iv). The TechFin and Ancillary Service Provider shall deploy adequate manpower and infrastructure in the IFSC, commensurate with its business operations.
- (v). The TechFin and Ancillary Service Provider shall seek registration or authorisation, as the case may be, separately under the appropriate regulations or framework issued by the Authority for undertaking regulated activities in the IFSC.

K. RAJARAMAN, CHAIRPERSON

[ADVT.-III/4/Exty./226/2025-26]